

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


पटना-15, दिनांक- 19/03/2026

संख्या-14/निजी-1068/2024- 5256 /सा0प्र0, श्री राजीव रंजन सिन्हा, बि0प्र0से0 को0क्र0-128/24, अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक-04.02.2026 से दिनांक 14.02.2026 तक कुल-11 दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-22 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त 11 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्री राजीव रंजन सिन्हा बि0प्र0से0 के पक्ष में 289 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री राजीव रंजन सिन्हा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिप संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने पर उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वि (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1068/2024- 5256 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 19/03/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजप में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभा पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया/श्री राजीव रंजन सिन्हा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/सम्बन्धि कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागी वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाख पदाधिकारी, प्रशाखा-29 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।